महत्वपूर्ण एवं खास

सड़क हादसे में युवक की मौत, दो गंभीर

कोरबा-रायपुर (आरएनएस)। जिले में सडक़ हादसे में एक युवक की मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक, वाहन की टक्कर से बाइक सवार तीन लोगों में एक की घटना स्थल पर मौत हो गई. वहीं दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. यह घटना कटघोरा थाना क्षेत्र की राजकंमा गांव की है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घयलों को अस्पताल पहुंचाया. मृतक का नाम 24 वर्षीय कोनकोना राजकुमार धनवार है. बताया जा रहा कि बाइक में सवार होकर तीनों दोस्त सगाई कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ है. घटना के बाद पहुंची कटघोरा पुलिस ने शव का पंचनमा कर आगे की कार्यवाही की. वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज जारी है।

पुराने विवाद पर अपहरण का नाकाम प्रयास

अंबिकापुर-रायपुर (आरएनएस)। शहर में 26 जनवरी को कार सवार बदमाशों ने युवक का अपहरण करने की कोशिश की. घटना के दौरान युवक के शोर मचाने पर लोगों को एकत्रित होता देख बदमाश खाली हाथ मौके से फरार हो गए थे. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद आज पीड़ित थाने रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा हैजानकारी के अनुसार, बदमाशों ने यह दुस्साहस गणतंत्र दिवस के अवसर पर बाबूपारा गौरवपथ पर यादव टी स्टॉल के समीप करने की कोशिश की. अपहरण की असफल कोशिश के बाद पीड़ित युवक पंकज कुमार आज मणिपुर थाना में मामला दर्ज कराने पहुंचा. बताया जा रहा है कि पीड़ित और अपहरणकर्ता खटीक पारा निवासी चंदन सोनकर के बीच पुराना विवाद है.

तलवार लहराकर लोगों को डराने वाला व्यक्ति गिरफ्तार

डोंगरगढ़-रायपुर (आरएनएस)। आगामी नगरीय चुनाव एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने व क्षेत्र में चुनाव शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष सम्पन्न कराने हेतु डोंगरगढ़ पुलिस द्वारा क्षेत्र में लगातार अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों, संदिग्धों, चाकुबाज एवं अन्य असमाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखकर लगातार कार्यवाही कर रही है इसी कड़ी में दिनांक-27.01.2025 को डोंगरगढ़ पुलिस को सूचना मिला कि कष्मीरीपारा ताजिया चौक डोंगरगढ़ के पास एक व्यक्ति अपने पास अवैध रूप से लोहे के धारदार तलवार रखकर लोगों को दिखाकर लहराकर डरा धमका रहा है कि सूचना पर डोंगरगढ़ पुलिस तत्काल मौके पर पंहुचकर आरोपी शेख अब्दुल सज्जाद पिता शेख शरीफ उम्र- 24 साल साकिन वार्ड नबंर-24 कष्मीरी पारा डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव छ0ग0 को तलवार लहराकर लोगों को डराते धमकाते रंगे हाथ पकडक़र आरोपी से एक नग धारदार तलवार को जप्त कर आरोपी के विरूद्ध धारा- 25, 27 आम्र्स एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है।

तलवार के साथ युवक गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। रायपुर की खमतराई थाना पुलिस ने तलवार लहराकर आम लोगों को आतंकित कर रहे युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से तलवार जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 28.01.2025 को थाना खमतराई को सूचना मिला कि ब्रम्हदेही पारा खमतराई में एक व्यक्ति अपने हाथ लोहे का तलवार लेकर लहराते हुये आम लोगों को डरा धमका रहा है। सूचना पर घटना स्थल में जाकर घेराबंदी कर आरोपी हरि नारायण निषाद पिता शिव कुमार निषाद उम्र 26 वर्ष निवासी ब्रम्हदेही पारा खमतराई को पकड़ कर आरोपी के कब्जे से एक धारदार लोहे का तलवार जप्त कर आरोपी हरि नारायण निषाद के विरूद्ध थाना खमतराई में धारा 25, 27 आम्र्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कारवाही किया गया।

अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी,हत्यारा गिरफ्तार

शारीरिक संबंध का भेद खुलने के भय से आरोपी ने की थी युवती की हत्या

रायपुर। आरएनएस

राजधानी के टिकरापारा थानाक्षेत्र के कमल विहार में बिते दिनों मिली एक युवती की हत्या के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। मामले में पुलिस ने एक टेक्सी चालक को गिरफ्तार किया है जिसने युवती से शारीरिक संबंध बनाने के बाद भेद खुलने के डर में उसकी हत्या कर लाश को कमल विहार क्षेत्र में फेंक दिया था।

बता दें कि दिनांक 14.01.2025 को थाना टिकरापारा को सूचना मिली कि कमल विहार सेक्टर 01 में एक अज्ञात लडक़ी उम्र लगभग 17 से 20 वर्ष का शव पड़ा है। सूचना तस्दीक कार्यवाही हेतु एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना टिकरपारा पुलिस के हमराह स्टाफ मौके पर पहुंची तथा सूचक की रिपोर्ट पर घटना स्थल पर मर्ग कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रथम दृष्टया एवं घटना स्थल के निरीक्षण में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मृतिका के साथ मारपीट कर उसकी गला दबाकर हत्या करना पाया गया था, जिस पर अज्ञात अरोपी के विरूद्ध थाना टिकरापारा में धारा 103 बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम संदीप मित्तल एवं उप पुलिस अधीक्षक क्राईम संजय सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। जिस टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल निरीक्षण करने के उपरांत सर्वप्रथम मृतिका की पहचान सुनिश्चित करने के प्रयास प्रारंभ करने के साथ-साथ घटना स्थल तक के पहुंच मार्ग को सुनिश्चित करने सी.सी. टी.व्ही. फुटेज संरक्षण एवं विश्लेषण तथा तकनीकी विश्लेषण के कार्य हेतु टीम को पाबंद किया गया।

प्राप्त जानकारी को पुख्ता करने के उपरांत टीम के सदस्यों द्वारा बिलासपुर निवासी बृजेश ओझा को कुम्हारी टोल प्लाजा के पास पकड़ा गया। बृजेश ओझा को पकडक़र घटना के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा उक्त हत्या की घटना को अंजाम देने के साथ-साथ मृतिका के साथ शारीरिक संबंध की घटना को भी अंजाम देना स्वीकार किया गया है।

आरोपी बृजेश ओझा से पूछताछ में पाया गया कि वह रायपुर में किराये में लेकर चारपहिया वाहन बुकिंग का कार्य करता है तथा अपनी पत्नी के साथ मिलकर रेलवे स्टेशन में चाय का ठेला संचालित करता है। दिनांक 13.01.2025 को आरोपी अपने दोस्त के पास टिकरापारा क्षेत्रांतर्गत स्थित किराये के मकान में उससे मिलने अपनी किराये के चारपहिया वाहन स्वीफ्ट डिजायर में गया था, जहां से वह अपने दोस्त के साथ कमल विहार शराब भट्ठी गये वहां शराब पिये उसके बाद आरोपी अपने दोस्त को उसके घर पर छोड़ कर अपनी चारपहिया वाहन में बुकिंग के लिये निकल गया। रात्रि में पेट्रोल पंप बंद होने से राजेन्द्र नगर होते हुए रेलवे स्टेशन आया जहां उसके द्वारा रेलवे स्टेशन में घुमने फिरने वाली लडक़ी मृतिका जिसे वह पूर्व से जानता था को अपनी चारपहिया वाहन में बैठाकर टिकरापारा ले गया और वहां उसके साथ शारीरिक संबंध किया।

चूंकि मृतिका पूर्व से ही आरोपी एवं उसकी पत्नी को जानती थी जिस पर आरोपी यह सोचते कि मृतिका उसकी पत्नी को सब जानकारी दे देगी एवं भेद खुलने के डर से उसके द्वारा मृतिका के साथ मारपीट एवं गलादबा कर हत्या कर दिया गया एवं साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को कमल विहार के सूनसान ईलाके में घुमा और पंप हाउस के पास सूनसान स्थान पर फेंक कर फ रार हो गया तथा अपनी चारपहिया वाहन को फाफाडीह स्थित फ्लाय ओव्हर के पास पार्क कर अपने घर चला गया एवं दिनांक 14.01.2025 की प्रात: पुन: अपनी दोपहिया वाहन से जहां मृतिका के शव को फेंका था उसे देखने गया एवं उसे देखने के बाद अपने घर आ गया। मामले में आरोपी बृजेश ओझा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त चारपहिया वाहन सीजी/04/क्यू ए/0932, दोपहिया वाहन सीजी/04/पी ए/5164 एवं मोबाईल फोन जप्त कर आरोपी के विरूद्ध प्रकरण में साक्ष्य छिपाने एवं शारीरिक संबंध की धारा जोड़ी जाकर थाना टिकरापारा में कार्यवाही किया जा रहा है।

आरोपी बृजेश ओझा पिता डॉ.बी. एम.ओझा उम्र 32 साल मूलत: सांई विहार गार्डन के सामने यदुनंदन नगर थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर का रहने वाल है जो कि यहां रायपुर में साहूपारा फाफाडीह में किराये का मकान का मकान लेकर रहता है।

इस अंधेकत्ल के प्रकरण को सुलझाने तथा मामले में संलिप्त आरोपी को गिरफ्तार करने के फलस्वरूप प्रकरण में शामिल अधिकारी/कर्मचारियों के उत्साहवर्धन के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 10,000 रूपये नगद ईनाम की घोषणा की गई है।

पांच अंतर्राज्यीय शराब तस्कर चढ़े पुलिस के हत्थे

डोंगरगढ़-रायपुर। आरएनएस

पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग, अति0पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा एवं एसडीओपी डोंगरगढ़ आशीष कुंजाम के आदेशानुसार व आगामी नगरीय निकाय चुनाव एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने व क्षेत्र में चुनाव शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष सम्पन्न कराने हेतु डोंगरगढ़ पुलिस द्वारा क्षेत्र में लगातार अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों, संदिग्धों, चाकुबाज एवं अन्य असमाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखकर लगातार कार्यवाही कर रही है इसी कड़ी में दिनांक-28.01.2025 को डोंगरगढ़ पुलिस को ग्राम कुम्हड़ाटोला जाने वाले मार्ग से भारी मात्रा में मध्यप्रदेश राज्य निर्मित शराब डीआई एवं एक कार से शराब तस्करी होने की सूचना मिलने पर डोंगरगढ़ पुलिस ग्राम कुम्हड़ाटोला मार्ग के पास में पंहूचकर नाकाबंदी एवं घेराबंदी कर दो वाहन जिसमें वाहन क्रमांक- सीजी 08 एबी 4380 यौधा डीआई एवं विसटा कार क्र0- सीजी 07 एम0बी0 2256 को पकड़े। डीआई वाहन में 03 व्यक्ति एवं विसटा कार में 02 व्यक्ति बैठे मिले जिसे नाम पता पुछने पर अपना-अपना नाम 01. राजेश चिंतामन तागड़े पिता सितामन तागड़े उम्र- 25 साल साकिन शारदा पारा तलाब पावर हाउस भिलाई जिला दुर्ग छ0ग0, 02. ईश्वर साहू पिता रगदास साहू उम्र- 30 साल साकिन ग्राम अछोली थाना डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव छ0ग0, 03. रौवन चन्द्राकर पिता प्रमोद कुमार चन्द्राकर उम्र- 37 साल साकिन ग्राम शिवपारा वार्ड न0- 33 दुर्ग जिला दुर्ग छ0ग0, 04. सोहेल मिन्नी पिता जलाउद्दीन सिद्दकी उम्र- 23 साल साकिन ग्राम देलाबाड़ी वार्ड न0- 40 जिला दुर्ग छ0ग0, 05. ऋषिकेश पिता प्रकाश हटिले उम्र- 24 साल साकिन ग्राम उरला जिला दुर्ग छ0ग0 का रहने वाला बताये। वाहन को चेक करने पर डीआई वाहन में 35 पेटी गोवा अंग्रेजी व्हीस्की शराब एवं विसटा कार में 10 पेटी देशी मदिरा शराब मिला जो आरोपीगण द्वारा छत्तीसगढ़ में नान ड्यूटी पेड शराब का अवैध रूप से तस्करी करना पाये जाने से आरोपीगण से 35 पेटी गोवा अंग्रेजी व्हीस्की शराब म0प्र0 राज्य निर्मित एवं 10 पेटी देशी प्लेन मदिरा शराब म0प्र0 राज्य निर्मित कुल 45 पेटी कुल मात्रा- 405.00 बल्क लीटर किमती- 236250/-रू0 एवं वाहन क0- सीजी 08 एबी 4380 यौधा डीआई एवं विसटा कार क्र0- सीजी 07 एम0बी0 2256 व 05 नग मोबाईल सहित कुल किमती- 1462250/-रू0 को जप्त कर आरोपीगण के विरूद्ध धारा- 34(2), 36 आबकारी एक्ट तहत कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी डोंगरगढ़ निरीक्षक जितेन्द्र वर्मा, उप निरीक्षक राजेश कुमार, सउनि तुलाराम बांक, आरक्षक प्रयंश सिंह, राजेन्द्र साहू, योगेन्द्र देशमुख, योगेश जग्नी:-

35 पेटी गोवा अंग्रेजी व्हीस्की शराब म0प्र0 राज्य निर्मित एवं 10 पेटी देशी प्लेन मदिरा शराब म0प्र0 राज्य निर्मित कुल 45 पेटी कुल मात्रा- 405.00 बल्क लीटर किमती- 236250/-रू0 एवं वाहन क0- सीजी 08 एबी 4380 यौधा डीआई एवं विसटा कार क्र0- सीजी 07 एम0बी0 2256 व 05 नग मोबाईल सहित कुल किमती- 1462250/-रू0

चाइनीज मांझा बेचने वाले दो लोग गिरफ्तार

रायपुर। आरएनएस

पुलिस ने टिकरापारा थाना क्षेत्र के पचपेढ़ी नाका इलाके में सात वर्षीय एक बालक पुष्कर साहू पिता फुलेश साहू की चायनीज नायलोन मांझे में फंसकर गला कटने से हुई मौत के बाद चार और मांझा विक्रेताओं के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत जुर्म दर्ज किया है. तेलीबांधा व टिकरापारा पुलिस ने दो-दो प्रकरण दर्ज किए हैं. पुलिस द्वारा भले ही एक ही कानून के तहत मामले दर्ज किए जा रहे हैं लेकिन कार्रवाई अलग-अलग किए जाने की शिकायत मिली है. तेलीबांधा पुलिस ने जहां दोनों आरोपियों को शपथपत्र लेकर जमानत दे दी है, लेकिन टिकरापारा पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

एफआईआर से पहले जारी किया गया नोटिस पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों को धारा 35 (5) बीएनएसएस का नोटिस दिया गया. तब आरोपियों ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर विवेचना में सहयोग करने एवं निर्देशों का पालन करने की बात कही. इस स्थिति में दोनों को मौके पर रिहा किया गया. इधर टिकरापारा पुलिस ने मोहम्मद शमशेर को एकरा काईट्स शिव नगर में प्रतिबंधित मांझे बेचते पकड़ा. उसके कब्जे से एक बड़ी चकरी में लिपटा मांझा जब्त किया गया है. इससे पहले संतोषीनगर में मां गायत्री किराना स्टोर चलाने वाले तेजस लोहिया, मठपुरैना में राज किराना स्टोर्स चलाने वाले अंकित साहू की गिरफ्तारी की गई थी।

भारी वाहन की ठोकर से एक युवक की मौत, दो गंभीर

कोरबा । आरएनएस

नेशनल हाईवे 130बी पर रजकम्मा के पास भारी वाहन ने दुपहिया वाहन को टक्कर मार दी। इस घटना में एक युवक की मौत हुई है जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पीडितों को कटघोरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस घटना पर मर्ग और अपराध दर्ज किया है जांच पड़ताल की जा रही है।

कोरबा जिले में कटघोरा पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत वहां से 11 किलोमीटर दूर यह दुर्घटना हुई। बताया गया कि इस हादसे में 24 वर्षीय कोनकोना निवासी राजकुमार धनवार की मौत हुई है। इसी इलाके में अपने समाज में आयोजित एक सगाई कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राजकुमार अपने दो दोस्तों के साथ गया हुआ था और कार्यक्रम के बाद लौट रहा था। राजकम्मा पहुंचने पर दूसरी दिशा से आ रहे भारी वाहन ने उसके बाइक को टक्कर मार दी। इस घटना में राजकुमार को काफी चोट आई और आखिरकार उसकी जिंदगी समाप्त हो गई। दुपहिया पर सवार दो अन्य लोग घायल हुए हैं। राहगीरों के माध्यम से इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई जिसे मौके पर पहुंच पीड़ितों को अस्पताल भिजवाने की व्यवस्था की।। कटघोरा पुलिस ने बताया कि भारी वाहन चालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है।

पूर्व रंजिश पर जानलेवा हमला करने वाला नाबालिग गिरफ्तार

रायपुर। आरएनएस

रायपुर के टिकरापारा थानाक्षेत्र में 30 दिसंबर 2024 को पूर्व विवाद पर एक नाबालिग को चाकू मारकर घायल कर फरार होने वाले एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दूसरा नाबालिग आरोपी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है।

मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी रवीन्द्र यादव उर्फ बबलू ने थाना टिकरापारा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह दिनांक 30.12.2024 के रात्रि करीबन 8 बजे मिलन चौक टिकरापारा में बैठकर मोबाईल देख रहा था उसी समय दो लडक़े प्रार्थी के पास आकर एक वर्ष पुराने रंजीश को लेकर अश्लील गालियां देने लगे प्रार्थी द्वारा गाली देने से मना करने पर दोनों मिलकर प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देकर हत्या करने की नीयत से अपने हाथ में रखें चाकू से प्रार्थी पर वार कर गंभीर चोट पहुंचाकर भाग गये, कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर दोनों के विरूद्ध थाना टिकरापारा में धारा 296, 351(2), 109, 3(5) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। घटना को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गंभीरता से लेते हुये थाना प्रभारी टिकरापारा को दोनों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया। जिस पर थाना प्रभारी टिकरापारा के नेतृत्व में थाना टिकरापारा पुलिस की टीम द्वारा प्रार्थी सहित आसपास के लोगों से घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ कर दोनों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। चूंकि घटना के बाद से दोनों लडक़े जो नाबालिग है, लगातार फरार चल रहे थे। जिनकी पतासाजी के संबंध में मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी लगातार पतासाजी की जा रहीं थी। इसी दौरान टीम के सदस्यों को 01 बालक की उपस्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई, जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा विधि के साथ संघर्षरत 01 बालक को पकड़ा गया। पूछताछ में बालक द्वारा अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर पुरानी रंजिश के कारण उक्त घटना को अंजाम देना बताया गया। जिस पर नाबालिग बालक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू जप्त कर उसके विरूद्ध कार्यवाही किया गया। प्रकरण में आरोपी दूसरा नाबालिग बालक फरार है, जिसकी पतासाजी की जा रही है।

च्वाइस सेंटर एवं मोबाईल दुकान में जाकर की ठगी, गिरफ्तार

दुर्ग-रायपुर। आरएनएस

पुलिस चौकी जेवरा सिरसा क्षेत्र के ग्राम बेलौदी में स्थित च्वाइस सेंटर में दिनांक 26.01.2025 को एक व्यक्ति च्वाइस सेंटर के संचालक को यह कहते हुए की मुझे अकाउंट में पैसे की आवश्यकता है। मेरे पास नगद रकम रखा है मैं तुम्हे 30000/-रूपये के बदले 500 रूपये अतिरिक्त दूँगा तुम मेरे अकाउंट में 30000/- रूपये डाल दो जिससे प्रार्थी आरोपी द्वारा दिये गये प्रलोभन में आकर आरोपी के खाता मे फोन पे ट्रांजेक्शन के माध्यम से 30000 रूपये डाल दिया किन्तु आरोपी द्वारा प्रार्थी को नगदी रकम नही देकर अपने धोखाधडी का शिकार बना लिया। जिस संबंध में प्रार्थी अमित कुमार पारकर पिता स्व. चिमन लाल पारकर उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम बेलीदी चौकी जेवरा सिरसा थाना पुलगांव जिला दुर्ग चौकी में शिकायत किया गया। इसी प्रकार दिनांक 20.01.2025 को भी ग्राम चिखली में स्थित एक मोबाईल दुकान के संचालक से भी 200 रूपये अतिरिक्त रकम देने का प्रलोभन देकर इसी प्रकार से घोखधड़ी कर ट्रांजेक्शन के माध्यम से 20500/- रूपये अपने अकाउंट में डला लिया और केवल 5000/- रूपये वापस किया है तथा शेष 15500 रूपये को वापस नही किया था जिस संबंध में प्रार्थी राकेश कुमार साहू, पिता रामकुमार साहू निवासी ग्राम चिखली चौकी जेवरा सिरसा थाना पुलगाव जिला दुर्ग द्वारा भी आरोपी हुपेश साहू पिता तापेश्वर साहू उम्र 27 वर्ष साकिन ग्राम जुगदेही वार्ड नं 11. पोस्ट सिलौटी थाना भखारा जिला धमतरी (छ.ग.) के विरूद्ध लिखित शिकायत किया गया उक्त दोनों शिकायत को पुलिस द्वारा गंभीरता से लेते हुए तत्काल आरोपी के विरुद्ध धारा 318 (4) बी.एन.एस. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना क्रम में आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया जो आरोपी हुपेश साहू जुर्म स्वीकार किया तथा आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी को दोनों प्रकरण में आज दिनांक 27/01/2025 को विधिवत गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियों की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंर्तराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करवाएगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

जानलेवा हमला कर फरार होने वाला आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। आरएनएस

राजधानी के डीडी नगर थानाक्षेत्र में नवंबर 2024 में दो युवकों पर चाकू से जानलेवा हमला कर फरार होने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में दो आरोपी पहले से ही गिरफ्तार किये जा चुके हुए।

मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी पाश्र्वनाथ पाण्डेय ने थाना डी.डी.नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि वह विजय चौक चंगोराभाठा डी.डी.नगर रायपुर में रहता है। प्रार्थी दिनांक 01.11.2024 की रात्रि में अपने दोस्त आकाश तिवारी के साथ उसकी स्कूटी से रोहणीपुरम तालाब से लाखे नगर की ओर जा रहे थे। स्कूटी को प्रार्थी चला रहा था एवं आकाश तिवारी पीछे सीट पर बैठा हुआ था कि रात्रि करीबन 8.00 बजे रोहणीपुरम तालाब के पास पहुंचे थे तभी पीछे तरफ से एक स्कूटी में सवार तीन अज्ञात लडक़े आये और बिना किसी वजह के प्रार्थी और उसके साथी आकाश तिवारी को लकड़ी के डण्डा से मारपीट करने लगे, तब वे दोनों भागने लगे कि तीनों अज्ञात लडक़े उनका पीछा कर छुगानी प्राईड चंगोराभाठा आ गये और वहां पर हाथ, मुक्का एवं डण्डा से दोनों को मारपीट कर रहे थे। इस दौरान प्रार्थी का दोस्त शिवम दीवान वहां आया और बीच बचाव किया। तब वे तीनों अज्ञात लडक़े अपनी स्कूटी लेकर वहां से भाग गये। फिर रात करीबन 9 बजे प्रार्थी और शिवम दीवान उसकी मोटर सायकल में और आकाश तिवारी अपनी स्कूटी में बैठकर साहू पान ठेला के पास चंगोराभाठा पहुंचकर अपनी गाड़ी को खड़ी किये थे तभी वे तीनों अज्ञात लडक़े पुन: आये और उसमें से दो लडक़े स्कूटी से उतरकर प्रार्थी के पास आये तथा उनमें से एक लडक़ा चाकू से प्रार्थी तथा शिवम दीवान को जान से मारने की नियत से चाकू से कई बार वार किया जिससे प्रार्थी के दाहिने जांघ, गले के पास तथा चेहरे में चोट आया और शिवम दीवान के दाहिने हाथ की भुजा में चोट आया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध थाना डी.डी. नगर में धारा 109, 3(5) बी एन एस का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। मामले में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना डी.डी.नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा प्रकरण में पूर्व में आरोपी कौशल चौहान पिता रामाधार चौहान उम्र 24 साल पता खदान बस्ती डंगनिया थाना डी.डी. नगर रायपुर एवं एक नाबालिग बालक को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक्टिवा वाहन एवं डण्डा जप्त कर दोनों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया था। प्रकरण में संलिप्त आरोपी तुलेश्वर उर्फ टिल्लू सोनकर घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा था, जिसकी पतासाजी के संबंध में मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी लगातार पतासाजी की जा रहीं थी। इसी दौरान टीम के सदस्यों को आरोपी तुलेश्वर उर्फ टिल्लू सोनकर पिता रामकुमार सोनकर उम्र 23 साल निवासी खदान बस्ती डंगनिया को पकड़ा गया। आरोपी तुलेश्वर उर्फ टिल्लू को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध कार्यवाही किया गया।